वैशाली नगर पुलिस ने दबोचा मनचला

जयपुर। वैशाली नगर थाना पुलिस ने 'महिला सुरक्षा संकल्प' अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए राह चलती युवती का पीछा कर छेड़छाड़ करने वाले एक मनचले को गिरफ्तार किया है।

नाम परिवर्तन

मैं चन्द्रवती पत्नि महावीर प्रसाद घोषणा करती हूँ कि मेरे पति की पॉलिसी (22637230) में मेरी सास का नाम राम दुलारी है जबकि मेरे पति के मृत्यु प्रमाण पत्र पर मेरी सास का नाम सावित्री है। दोनों एक ही है।

मैंने अपना नाम जुली से बदलकर जुली नस्कर पत्नी श्री अर्जुन नस्कर रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जायें। पता-बी-51-बी मदर टैरेसा नगर मालवीय नगर जयपुर

I No JC285435F Subedar Shekhawat Datar singh Fateh Singh (Retired) resident of 52 kumhar mohalla, Village -Surana, Tehsil - Shahpura, District - Jaipur that i want to change my daughter name from ANAMIKA To ANAMIKA SHEKHAWAT vide affidavit dated 13 may 2026 before sub divisional majistrate Jaipur city north

I army no JC164932H Ex Sub Munshi singh S/O Ganga singh resident of ward no 3 narnouliya mohalla bhonawas Jaipur that i want to change name of my dependent from RATAN KAUR To RATAN KANWAR vide affidavit dated 15 may 2026 before sub divisional magistrate Jaipur city south

I Anita D/O army no JC221656 Naib Subedar Late Pooran mal kalyania resident of plot no 22 mahant colony khatipura phatak ke pass jhotwara jaipur that i want to change my name from ANITA To ANITA KUMARI KALYANIA vide affidavit dated 14 may 2026 before sub divisional majistrate Jaipur city north

खोया पाया

मेरा मकान सं. 26/ए-2/410 अनुपंन अपार्टमेन्ट प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर सम्पर्क करें। मो. 9468650126

आम सूचना

दिनांक-15.05.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य रामनिवास यादव पुत्र श्री प्रभुदयाल यादव निवासी मोहनपुरा कोटपूतली का रहने वाला है जो कि मेरे अभिभाष्य के एक लड़का है जिसका नाम अंकित यादव है, जो कि शादी शुदा है जिसकी पत्नि का नाम शिवानी यादव है व मेरे अभिभाष्य के एक पोता ख़ियान्श व पोती परी है। मेरे अभिभाष्य का पुत्र अंकित मेरे अभिभाष्य के कहे अनुसार नही चलता है आये दिन लड़ाई झगड़ा करता है व मेरे अभिभाष्य का पुत्र अंकित आवारा किस्म का है जो कि आवारा लड़को की संगत में घुमता रहता है मेरा अभिभाष्य अंकित को समझाता है तो लड़ाई झगड़ा करता है व मुकदमे में फंसाने की धमकी देते है व उसकी पत्नि समझाती तो उससे भी लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है यदि कोई भी व्यक्ति अंकित से किसी भी तरह का लेन देन, संव्यवहार करेगा तो मेरा अभिभाष्य किसी भी तरह से जुम्मेदार नहीं होगा। मेरे अभिभाष्य ने अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति से अंकित को बेदखल कर दिया है। आज के पश्चात अंकित का व मेरे अभिभाष्य का पिता पुत्र का कोई संबंध नही रहा है। ना ही भविष्य में रहेगा। मेरे अभिभाष्य की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति मेरे अभिभाष्य की मृत्यु के पश्चात मेरे अभिभाष्य की पुत्र वधु शिवानी व पोते की रहेगी।

कृष्ण कुमार शर्मा, एडवोकेट
कोटपूतली
मो.नं. 9660710701, 9829731505

आम सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) व हर आम को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री अभिषेक कटेवा पुत्र स्वर्गीय विरेन्द्र सिंह कटेवा निवासी प्लाट नंबर 38 कान्ती नगर स्टेशन रोड जयपुर ने अरविन्द कुमार जाट व मुकेश कुमार पुत्रान जगदीश प्रसाद निवासीयान ग्राम पीपला भरत सिंह (जाटों की ढाणी) तहसील सांगानेर जिला जयपुर को ऋण दिया हुआ है तथा ऋण अदायगी पेटे उपरोक्त दोनों भाईयों (अरविन्द कुमार व मुकेश कुमार) ने जयपुर विकास प्राधिकरण से स्वयं के पट्टे विलेख (फ्री होल्ड) भूखण्ड संख्या 11/B(b)17 क्षेत्रफल 50 स्कवायर मिटर 11/C(i)/74 क्षेत्रफल 12.50 स्कवायर मीटर 11/C(i)/80 क्षेत्रफल 12.50 स्कवायर मीटर 11/C(i)/83 क्षेत्रफल 12.50 स्कवायर मीटर 11/OB/115B, क्षेत्रफल 12.50 स्कवायर मीटर 11/C(b)16 क्षेत्रफल 50 स्कवायर मीटर 11/C(i)/77 क्षेत्रफल 12.50 स्वायर मीटर 11/C(i)/86 क्षेत्रफल 12.50 स्कवायर मीटर 11/IC(i)/92 क्षेत्रफल 12.50 स्कवायर मीटर 11/OB/115A क्षेत्रफल 12.50 स्कवायर मीटर जरिये आवंटन क्रमांक F-JDA/JONE-11/2026/9470, F-JDA/JONE-11/2025/7195, F-JDA/JONE-11/2025/7186, F-JDA/JONE-11/2025/7206, F-JDA/JONE-11/2025/7183, F-JDA/JONE-11/2026/9472, F-JDA/JONE-11/2025/7185, F-JDA/JONE-11/2025/7214, F-JDA/JONE-11/2025/7196, F-JDA/JONE-11/2025/7212 है। उपरोक्त भूखण्डों के मूल पट्टे (जे.डी.ए. द्वारा जारी रजिस्ट्रीस्टर्ड शुदा) मेरे पास ऋण अदायगी पेटे गिरवी, रहन रखे हुये है। जयपुर विकास प्राधिकरण इनके डुप्लीकेट पट्टे जारी नहीं करें तथा कोई व्यक्ति या संस्था इनको क्रय नहीं करें। सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रेषक-राजेन्द्र सिंह महला एडवोकेट
एस-10ए अम्बाबाड़ी जयपुर, मोबाईल-9351648480

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा.जोन-8/2026/डी-2170 दिनांक-06.02.2026

सार्वजनिक सूचना

आवेदक श्री प्रताप सिंह सैनी पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद सैनी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के जोनल प्लान 10 की 60 मीटर सैक्टर सड़क में आ रही राजस्व ग्राम मोहनपुरा के खसरा नम्बर 401/8 रकबा 0.1200 हैक्टेयर भूमि के एवज में विकसित भूमि के भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। ग्राम मोहनपुरा के खसरा नम्बर 401/8 रकबा 0.1200 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 राजस्व जमाबंदी अनुसार श्री प्रताप सिंह सैनी के नाम दर्ज है। अतः हितधारियों/संबंधितजनों को जरिये सार्वजनिक सूचना सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बावत कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो जविप्रा में उपायुक्त जोन-8 कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 कार्य दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

उपायुक्त जोन-8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-13, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100676 **लोक सूचना** दिनांक: 15.05.2026

श्री SHIVRAM MEENA पुत्र श्री MURARI LAL MEENA जाति MEENA निवासी B-2102, SKY TERRACE, SHIPRA PATH, OPPOSITE IIS SCHOOL MANSAROVAR, JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	निर्मित क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	कूकस, आमेर (जयपुर)	1.) शिवराम मीणा पुत्र मुरारीलाल मीणा हिस्सा पूर्ण जाति मीणा मकान संख्या B 2102 कॉलोनी स्काई टैरिस शिप्रा पथ आईआईएस स्कूल के सामने क्षेत्र / स्थान मानसरोवर शहर जयपुर पिन कोड 302020 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	2673/548	0.332000	0.332
2			2676/551	0.004100	0.0041
				कुल	0.3361

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर 'विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें' Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवाएं। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 15-05-2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नम्बर मिलाइए 8890333139

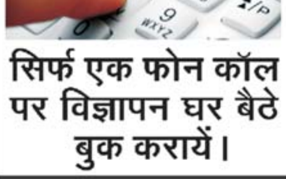

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

देरी से भुगतान पर बीमा कंपनियों पर लगेगी 12 प्रतिशत की पेनल्टी

वर्ष 2018 से 2022 तक के 33.15 करोड़ रुपये के फसल बीमा क्लेम अभी तक लंबित : कृषि मंत्री

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देरी से क्लेम भुगतान पर फसल बीमा इंश्योरेंस कंपनियों को सख्त नोटिस जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित में निरंतर निगरानी रख रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र किसान को उसका उचित फसल बीमा क्लेम समय पर प्राप्त हो। किसानों के फसल बीमा क्लेम के भुगतान में हो रही अनावश्यक देरी को लेकर राजस्थान सरकार ने बेहद गंभीर रुख अपनाया है।

■ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीमा क्लेम समय पर भुगतान के लिए राज्य सरकार गंभीर : डॉ. किरोड़ीलाल

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल ने बताया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी तथा इंडसइंड (रिलायन्स) जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को सख्त नोटिस जारी करते हुए लंबित क्लेमों का तत्काल भुगतान करने तथा 12 प्रतिशत पेनल्टी सहित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से 2022 तक के 33.15 करोड़ रुपये के फसल बीमा क्लेम अभी तक लंबित हैं, जबकि किसान आवश्यक दस्तावेज जमा कर चुके हैं। राज्य सरकार के बार-बार निर्देशों और भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की जा रही है।

परिचालन मार्गदर्शिका 2023 के अनुसार निर्धारित 21 दिनों में क्लेम का भुगतान न करने पर बीमा कंपनी पर 12 प्रतिशत वार्षिक पेनल्टी लगाने का स्पष्ट प्रावधान है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना राजस्थान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। फसल बीमा क्लेमों के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बीमा कंपनी को 3 कार्यदिवस के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है कि क्यों न लंबित क्लेमों पर देयता की तारीख से भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत पेनल्टी लगाई जाए।

साथ ही सभी लंबित क्लेमों का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कंपनी ने समय पर भुगतान नहीं किया तो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना बनी गेम चेजिंग स्कीम

योजना के दसवें चरण में 465 औद्योगिक भूखण्डों के लिए लगभग 800 आवेदन प्राप्त

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रीको द्वारा संचालित प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 को निवेशकों का लगातार उत्साहजनक समर्थन मिल रहा है। योजना के दसवें चरण में 465 औद्योगिक भूखण्डों के लिए लगभग 800 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल लगभग 294 एकड़ तथा अनुमानित मूल्य करीब 550 करोड़ रुपये है।

इस चरण में जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र कांकाणी के लिए सर्वाधिक 267 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त अजमेर स्थित आईजीपी अजयमेरू पालड़ा विस्तार के लिए 48, अलवर के आईजीपी रूंध सोखरी के लिए 43, पचपदरा रिफाइनरी के पास विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्र बोरावास कलावा प्रथम के लिए 31 तथा

■ इस योजना के माध्यम से राज्य में निवेश एवं रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकेंगे

बोरानाडा विस्तार औद्योगिक क्षेत्र के लिए 58 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

रीको ने असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटन के लिए फ्लेक्सिबल लैंड लीज एवं किराया नीति में आंशिक संशोधन कर यह प्रावधान किया है कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों में दो प्रयासों के बाद भी 25 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों का आवंटन नहीं हो पाया है, वहां भूखण्डों का आवंटन प्रचलित दर के 60 प्रतिशत अथवा आरक्षित दर, जो भी अधिक हो, पर किया जायेगा। नौवें चरण में 60 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराए गए 22 भूखण्डों के लिए 25 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें सर्वाधिक आवेदन अजमेर के अजयमेरू पालड़ा विस्तार क्षेत्र के लिए आए थे। वहीं दसवें चरण में ऐसे असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पहले से कहीं अधिक 113 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अजयमेरू पालड़ा विस्तार (अजमेर), सरदारशहर विस्तार (चूरू), कचारिया (किशनगढ़), लोहावट एवं सियामाली (मंडोर) सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में इसी संबंध में बडी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं।राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप रीको लगातार निवेश-अनुकूल नीतियों पर कार्य कर रहा है। निवेशकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधार एवं नीतियों का सरलीकरण राज्य में औद्योगिक निवेश को नई गति प्रदान करेंगे तथा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देंगे। रीको द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने एवं उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

एक्टिंग सीजे ने छोड़ी एस्कॉर्ट, जस्टिस जैन आए साइकिल से हाईकोर्ट

जयपुर। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ऊर्जा संरक्षण को लेकर देशवासियों से किए गए आव्हान का असर अब न्यायपालिका में भी दिखाई देने लगा है। बीते दिनों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने अपने एस्कॉर्ट वाहन को छोड दिया। अब जस्टिस समीर जैन लंबी दूरी तय कर साइकिल के जरिए हाईकोर्ट पहुंचे।जस्टिस समीर जैन ने अपने सरकारी लग्जरी वाहन का उपयोग छोडकर साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचकर ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ फिटनेस का संदेश भी दिया। गांधीनगर स्थित अपने सरकारी निवास से साइकिल के जरिए हाईकोर्ट पहुंचने के दौरान शूट किए वीडियो में उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी भी नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर निचली अदालतों के कई पीठासीन अधिकारी भी कारपूलिंग कर अदालत पहुंच रहे हैं। सरकारी आवास से बनीपार्क स्थित सेशन कोर्ट की दूरी काफी अधिक होने के कारण न्यायिक अधिकारियों ने साइकिल के बजाए कारपूलिंग चुना है।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल प्रताप नगर जयपुर

क्रमांक-739 दिनांक-06.05.2026

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास संख्या 266/145 (LIG) का आवंटन श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री अमर नाथ शर्मा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1265 दिनांक 08.06.2006 के द्वारा जारी किया गया है। श्रीमती सीमा शर्मा द्वारा श्री प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री मूल चन्द शर्मा को दिनांक 15.10.2009 को मुख्तयारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा श्रीमती सीमा शर्मा के पक्ष में पंजीयन निष्पादन दिनांक 15.12.2009 को करवाया गया। श्री प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा मुख्त्यारआम की हैसियत से पंजीयन पश्चात उक्त आवास को विक्रय कर श्रीमती गीता देवी शर्मा पत्नी श्री प्रदीप कुमार शर्मा को दिनांक 15.12.2009 विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर प्रथम जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। क्रेता श्रीमती गीता देवी शर्मा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्रीमती गीता देवी शर्मा का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत-प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर नगर जोन) नगर निगम जयपुर

(अम्बाबाड़ी सर्किल अम्बाबाड़ी जयपुर)

क्रमांक:- एफ-55 ( ) वि.जोन/ ज.न.नि./ 2026/240 दिनांक:- 11.05.2026

सार्वजनिक सूचना

भूखंड सं. 24, बने विहार, जोशी मार्ग झोटवाड़ा जयपुर (करतारपुरा गृह.नि.स.स) का श्री बोदूराम पुत्र श्री मुरलीधर को दिनांक 11.07.2007 क्षेत्रफल 277.95 वर्गगज भूमि का लीज डीड पट्टा जारी किया गया था। मूल आवंटी द्वारा जरिये रजि. मुखत्यारनामा दिनांक 21.07.2007 के द्वारा भूखंड श्री शौकत अली खां पुत्र श्री कासम अली खां के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात श्री शौकत अली खां पुत्र श्री कासम अली खां द्वारा जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2009 को श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक तंवर के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक तंवर द्वारा जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 04.07.2017 को क्षेत्रफल 138 वर्गगज श्रीमती शकीला बानो पत्नी श्री मोहम्मद मुजफ्फर के पक्ष में विक्रय कर दिया गया। तत्पश्चात श्रीमती शकीला बानो पत्नी श्री मोहम्मद मुजफ्फर द्वारा जरिए रजि. विक्रय पत्र दिनांक 06.03.2021 को भूखंड संख्या 24ए (भूखंड सं. 24 का उत्तरी भाग) क्षेत्रफल 136.66 वर्गगज श्री मकसुद अहमद पुत्र श्री सदीक मोहम्मद के पक्ष में विक्रय कर दिया गया। आवेदक श्री मकसुद अहमद पुत्र श्री सदीक मोहम्मद द्वारा भूखंड संख्या 24ए (भूखंड सं. 24 का उत्तरी भाग), बने विहार, झोटवाड़ा जयपुर (करतारपुरा गृह.नि.स.स) क्षेत्रफल 136.66 वर्गगज का नाम हस्तांतरण अपने पक्ष में जारी किये जाने हेतु कार्यालय उपायुक्त विद्याधर नगर जोन, नगर निगम जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म अथवा कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस के भीतर कार्यालय उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम जयपुर, अम्बाबाड़ी सर्किल, अम्बाबाड़ी, जयपुर में दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि समाप्ति उपरांत विधिवत नियमानुसार नाम हस्तांतरण की कार्यवाही सम्पन्न कर ली जावेगी। आवेदक

श्री मकसुद अहमद पुत्र श्री सदीक मोहम्मद
भूखंड सं. 24ए, बने विहार, जोशी मार्ग, झोटवाड़ा, जयपुर।

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि. क्रम 2 जयपुर महानगर द्वितीय
बसन्ती देवी विरुद्ध राजेश शर्मा
वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ता.पेशी 22.05.2026
प्रार्थना-पत्र संख्या - 13/2026
CIS-36/26 सन् 2026

नाम राजेश शर्मा पुत्र रामावतार शर्मा जाति ब्राह्मण पता गीत महल, एडल रिसॉर्ट के सामने, राजावास सीकर रोड, जयपुर

उक्त ..... ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि..

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 22 माह 05 सन् 2026 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज दिनांक 14 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर अदालत

अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 जयपुर महानगर द्वितीय

भारतीय शिक्षा बोर्ड ने अपनाई नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा

नेशनल करिकूलम फ्रेम वर्क (एनसीएफ 2023) लागू करने वाला देश का पहला बोर्ड बना

हरिद्वार। आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत "मैकाले की शिक्षा पद्धति" की 'गुलामी' से आजाद नहीं हो पाया है। इस शिक्षा की गुलामी को उखाड़ फेंकने का संकल्प कुछ वर्ष पहले स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने लिया और उनकी सोच को बीएसबी बोर्ड बनाकर भारत सरकार ने साकार कर मजबूती प्रदान की। अब यही बोर्ड, देश को भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में नई दिशा देते हुए दिख रहा है।

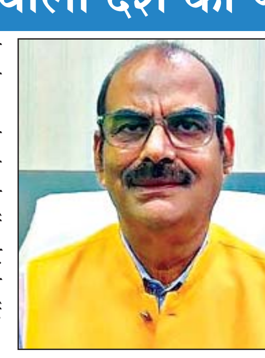

यह बात यूं ही नहीं कही जा रही बल्कि इसके पीछे मजबूत आधार यह है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड (बीएसबी) ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शैक्षिणक सत्र 2026-27 से बालवाटिका से माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा-विद्यालयी शिक्षा 2023 (एनसीएफ 2023) तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आधारभूत स्तर 2022 (एनसीएफ-एफएस 2022) को लागू करने की घोषणा की है। जिसका सीधा मायने यह है कि मैकाले की शिक्षा की गुलामी से अब भारत आजाद होगा।

भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह पहल करने वाला भारतीय शिक्षा बोर्ड देश का पहला विद्यालयी बोर्ड बन गया है। जिसने संपूर्ण विद्यालयी शिक्षा क्रम में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का व्यापक एवं समग्र कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है। यह कार्यान्वयन रटंत शिक्षा पद्धित से आगे बढ़ते हुए दक्षता आधारित, अनुभवात्मक तथा समग्र शिक्षा की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय अब शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षण पद्धितयों, बहुभाषी शिक्षा दृष्टिकोण तथा विभिन्न आयु-स्तरों के अनुरूप पाठ्यचर्या संरचना को अपनाएंगे, जिससे विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ के साथ-साथ ज्ञान के व्यावहारिक जीवन में उपयोग की क्षमता विकसित होगी।

भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन एवं रिटायर्ड आईएएस डॉ. एनपी सिंह का कहना है कि सच्ची शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा का पोषण करती है तथा व्यक्तियों को 21वीं सदी के आवश्यक कौशलों से सुसज्जित करती है, जिससे वे आधुनिक विश्व में समाज और राष्ट्र पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। इसलिए यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो शिक्षा नीति को कक्षा-स्तर की वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में भारतीय शिक्षा बोर्ड को अग्रणी संस्था के रूप में स्थापित करती है।

■ बालवाटिका से माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा होगी लागू

■ मैकाले की 'गुलामी' वाली शिक्षा पर भारतीय शिक्षा बोर्ड की करारी चोट होगी : डॉ. एन.पी. सिंह

विधानसभा के 75 वर्ष पर लोगो का विमोचन व द्वार नामकरण होगा

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया है कि राजस्थान विधान सभा की स्थापना के 75 वें वर्ष के अवसर पर विधान सभा के प्रतीक चिन्ह का विमोचन और विधान सभा के ऐतिहासिक द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का अनावरण विधान सभा में सोमवार 18 मई को होगा। विधायक कक्ष में सोमवार को प्रात: 10:30 बजे आयोजित होने वाले इस समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित विधायक गणों को आमंत्रित किया गया है। समारोह का सजीव प्रसारण विधानसभा के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने गत ढाई वर्षों में राजस्थान विधान सभा में बेहतरीन पहले कर नवाचारों की श्रंखला बना दी हैं। इससे राजस्थान विधान सभा की देश में अनूठी पहचान बनी है। यह विधान सभा देश की सर्वश्रेष्ठ विधान सभा भी बन गई है। देवनानी ने गुलाबी नगर की पहचान के अनुरूप विधान सभा सदन के स्वरूप में नवाचार कर उसे गुलाबी किया है। विधान सभा की डिजिटल एवं पेपरलेस व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा, वंदेमातरम दीर्घा, लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोडने के लिए जनदर्शन कार्यक्रम. शौर्य वाटिका, नक्षत्र वाटिका, हर्बल वाटिका, ऑनलाइन उपस्थिति, विधान सभा में महिला दिवस जैसे आयोजनों ने विधान सभा को नई पहचान दी है। उत्तरदायित्व की प्रश्नोत्तरी, सेन्ट्रल हॉल की परिकल्पना, विधान सभा सदन में चर्चा का समय बढ़ा, सुरक्षा हुई चाक चौबन्द, सोशल मीडिया इन्फ्लुएसर्स मीट और कॉन्स्टिटयूशन क्लब को बनाया विचार-विमर्श का केन्द्र सहित अनेक नवाचारों से राजस्थान विधान सभा के स्वरूप में अदभुत निखार आ गया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण वर्ग आज से

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र में 17 मई से प्रदेश के 12 स्थानों पर 14 प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ होंगे। इनमें 10 संघ शिक्षा वर्ग, तीन घोष वर्ग और एक कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम शामिल है। इन वर्गों में विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी, तरुण तथा विभिन्न व्यवसायों से जुड़े स्वयंसेवक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेश अग्रवाल ने बताया कि संघ शिक्षा वर्गों में स्वयंसेवकों को साधना, स्व-अनुशासन, त्यागपूर्ण जीवन तथा सामूहिक जीवन के सामंजस्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्गों में शारीरिक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण अवधि में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा जल संरक्षण को व्यवहार का हिस्सा बनाया जाएगा।उन्होंने बताया कि इस वर्ष राजस्थान क्षेत्र का कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम (सामान्य) जयपुर के राजापार्क में आयोजित होगा।

लोग पूछते हैं संघ ने स्वतंत्रता के लिए क्या किया, तो यह जानने के लिए उन्हें अध्ययन करना चाहिए : राज्यपाल

जयपुर (कासं)। जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम में शनिवार को युग प्रवर्तक डॉ. हेडगेवार, संघ सृजन का नाट्य अविष्कार शीर्षक से नाटक का भव्य मंचन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार पर मंचित इस नाटक से आपको उनके जीवन का परिचय होगा। उन्होंने स्कूल में अंग्रेज महारानी द्वारा बाँटी गई मिठाई ग्रहण नहीं की क्योंकि वो हमारी महारानी नहीं थी। डॉ. साहब ने कांग्रेस के अधिवेशन में घोषणा की कि यही हिन्दू राष्ट्र है।

■ बिड़ला सभागार में डॉ. केशव हेडगेवार पर नाटक का मंचन

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार पर मंचित नाट्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा, लोग बोलते हैं कि स्वतंत्रता के लिए संघ ने क्या किया तो यह जानने के लिए उन्हें अध्ययन करना चाहिए। संघ ने सुराज के लिए एकजुटता की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. साहब अंतिम समय काफ़ी बीमार रहे।

1940 में तृतीय वर्ष के संघ शिक्षा वर्ग में आए तो सभी स्वयंसेवकों को देख कर उन्होंने कहा, मैं यहां भारत का छोटा रूप देख रहा हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आर्गेनाइजर में लेख लिखा था, जिसमें बताया कि मैं आज जो कुछ हूँ, संघ के प्रचारक नारायणराव तर्टे के कारण हूँ। डॉ. साहब ने ही नानाजी देशमुख को पिलानी में प्रचारक बनने के लिए भेजा। उन्होंने कहा, एक प्रचारक कभी अपने अनुभव भूलता नहीं है। एक-एक रुपया जमा कर विवेकानंद जी का स्मारक बनाया। मोरोपन्त पिंगले ने स्वयंसेवकों को प्रेरित किया कि ऐसा अचार विचार का वातावरण बनाना है, जिससे विकास का मार्ग प्रशस्त हो। संघ का काम देश सेवा का बहुत बड़ा काम है। अपना काम तन्मयता से करते रहें तो काम बड़ा होता है। स्वयंसेवकों ने संघर्ष के कठिन दिन देखे हैं।

कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. रमेशचंद अग्रवाल ने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम नदी के पुण्य प्रवाह की तरह चल रहा है। संघ का विशाल स्वरूप इसी भक्ति भाव का प्रतीक है। महामंडलेश्वर गणेश दास महाराज ने कहा डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार दूरदर्शी व्यक्ति थे जो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्त्रोत व मार्गदर्शक हैं। विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा यह नाट्यय प्रस्तुति राष्ट्रीय चेतना की सांगठनात्मक शक्ति का प्रवाहक है।

डॉ. हेडगेवार ने कहा था कि राष्ट्रीय चेतना व्यक्ति निर्माण का महत्वपूर्ण अंग है। प्रज्ञा प्रवाह द्वारा आयोजित कार्यक्रम संस्कृति व संस्कारों से समाज को जोडने का काम कर रहा है। आइये हम सभी समृद्ध सांस्कृतिक व प्रेरणादायी भारत का निर्माण करें।नादब्रह्म के प्रचार प्रमुख रवींद्र सहस्त्रबुद्धे ने आभार व्यक्त किया। डॉ. अजय प्रधान द्वारा लिखित इस नाटक का निर्देशन सुबोध सुरजीकर ने किया है। निर्माता पद्मकर धनोरकर हैं। संगीत शैलेश दाणी का रहा। नागपुर की नादब्रह्म टीम ने यह नाटक तैयार किया है। नादब्रह्म नागपुर के 45 स्वयंसेवकों का संगठन है।

त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी पर हाईकोर्ट गंभीर

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी को लेकर बार-बार याचिकाएं आने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस अफसरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें। यह कमेटी इस विषय पर गहन परीक्षण कर भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचिता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी बनाने के साथ ही अन्य सुधारात्मक उपाय भी निर्धारित करे। अदालत ने कहा है कि कमेटी यह भी परीक्षण करेगी कि क्या ऐसे प्रश्न और उत्तर कुंजी तैयार करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 लेवल द्वितीय को लेकर दायर 45 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में बेरोजगारी ने अत्यंत गंभीर रूप धारण कर लिया है और प्रतिस्पर्धा असाधारण स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में एक-एक प्रश्न भी अत्यधिक महत्व रखता है और एक प्रश्न से सैकडों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है।

■ पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर एसओपी बनाने के निर्देश दिए

इसलिए प्रश्न पत्र तैयार करने और उत्तर कुंजी बनाने में अत्यधिक सावधानी, निष्पक्षता व सतर्कता जरूरी है। अदालत ने कहा कि भर्ती एजेंसियों को परीक्षा संचालन में लापरवाही करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन पर संवैधानिक दायित्व है कि वे सक्षम विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी पूर्ण शुचिता से तैयार करें, ताकि किसी भी गलती की संभावना नहीं हो। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि साल 2022 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के परिणाम के बाद नियुक्तियां हुई। वहीं बाद में कोर्ट के आदेश से संशोधित परिणाम जारी हुआ। इसके याचिकाकर्ताओं के अंक पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थियों से अधिक हो गए, लेकिन नई कट ऑफ में शामिल नहीं हो सके। ऐसे में उनसे कम अंक वालों को मिली नियुक्ति के चलते उन्हें भी नियुक्ति दी जाए।

जूनियर समर कैम्प का शुभारम्भ

जयपुर। जवाहर कला केन्द्र की ओर से आयोजित जूनियर समर कैम्प 2026 का शुभारम्भ 16 मई को पर्यटन, कला एवं संस्कृति शासन सचिव तथा जेकेके की महानिदेशक शुचि त्यागी द्वारा किया गया। त्यागी ने बच्चों की प्रतिभा, कला के प्रति उनके रुझान एवं सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए सृजनशीलता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने पर बल दिया।

संख्यांक 2
विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
श्रीमान सिविल जज (पश्चिम) महा. द्वितीय
मोहम्मद सलीम विरूद्ध अब्दुल वहीद
वाद बाबत सुख्याचार में अवरोध हटाने बाबत
वाद सं. 308सन् 2014

नाम (1) शाहीना पत्नी स्व. अब्दुल वहीद (2) मोहम्मद कासिफ (3) कुमारी इन्शारा (4) कुमारी मनतशा पुत्र अब्दुल वहीद जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माताजी शाहीना बानो निवासियान 104-बी, गली नं. 3, मदिना मस्जिद, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर के आपके विरूद्ध... के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय मे दिनांक 18.05.2026 को दिन में सुबह 8 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या ना हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता. 16 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

रीडर

मोहर अदालत

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम, जयपुर महानगर द्वितीय

सम्मन बनाम कायम मुकाम

(आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी)
न्यायालय...किराया अधिकरण
जयपुर महानगर (द्वितीय) जयपुर
कमल कान्त गुप्ता विरूद्ध प्रेम चन्द जैन
दावा बाबत इन्खिलाय
मुकदमा नम्बर 1015/सन् 2015

बनाम

मुसम्मी..1/1 श्रीमति राजकुमारी धर्म पत्नि स्व. श्री प्रेमचन्द, 1/2 श्री अजय जैन पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द जैन, 1/3 श्रीमति आशा धर्म पत्नि श्री प्रेम लुहाडिया पुत्री स्व. श्री प्रेमचन्द, 1/4 श्रीमति अंशु धर्म पत्नि श्री संजय गोदीका पुत्री स्व. श्री प्रेमचन्द, 1/5 श्रीमति अंजली धर्म पत्नि श्री संजय बड़जात्या पुत्री स्व. श्री प्रेम चन्द, समस्त जाति जैन, मार्फत केसर लाल आईस सप्लायर्स, दुकान नम्बर 28, नमक की मण्डी के पास, किशनपोल बाजार, जयपुर चूंकि...अर्जीदार..ने इस अदालत में तारीख 08 माह 12 सन् 2015 को..कमल कान्त गुप्ता..बनाम..प्रेमचन्द...दायर की जो कि बाद में प्रत्यर्थी प्रेमचन्द फोत हो गया और चूंकि...अर्जीदार...मजकूर के दरख्वात अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी...प्रत्यर्थी प्रेमचन्द...मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप उपरोक्त 1/1 लगायत 1/5 बनाय जावें।

लिहाजा अजरिये हाजा बगज जवाब देही...प्रार्थना पत्र...आपको तारीख 24 माह 7 सन् 2026 को अदालत हाजा में उपस्थित होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसल किया जावेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत ने आज तारीख 16 माह 05 सन् 2026 को जारी किया गया।

यह आज दिनांक 16 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर अदालत

आज्ञा से-किराया अधिकरण
जयपुर महानगर-द्वितीय

कार्यालय नगरपालिका किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)

Mail Id: npkishangarhbas@gmail.com PH-01460-242233
क्रमांक- न.पा.कि.बास/2026/695 दिनांक-15.05.2026

आपत्ति सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के अन्तर्गत 69-क व 90-अ के एक्ट के तहत ऑनलाईन पट्टा बनवाने हेतु निम्न प्रकार ऑनलाइन पत्रावली इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। अत इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति संस्था या किसी को भी कोई भी आपत्ति हो तो 07 दिवस में इस कार्यालय में अपनी आपत्ति मय सबूत इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। मयाद निकलने के बाद कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति/पत्नी का नाम	पता 90-क	खसरा नं.
1	चमन लाल	बहादुर सिंह	वार्ड नं. 20 बासडा कि. बास	694
2	जुम्मी	अकील	ग्राम दयालपुर कि. बास	257
3	मेघवाल विकास समिति		किशनगढबास	437
4	सालिमन	आबिद	ग्राम दयालपुर कि. बास	257
5	मीनू यादव	पवन कुमार यादव	बासडा कि बास	693
6	घनश्याम	रामसिंह	वार्ड नं. 20 बासडा कि. बास	686
7	कविता	सतीश कुमार	वार्ड नं. 20 बासडा कि. बास	702
8	रेखा कुमारी	यशवंत सिंह	बासडा बस्ती के पीछे कि. बास	770
			69-क	
1	मेघराज	रामकवार	अहमद बास कि. बास	535

उपरोक्त व्यक्ति को 69-क व 90-अ एक्ट पट्टा के लिए कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से 07 दिवस में इस कार्यालय में आपत्ति प्रसतुत कर सकते है। उपयुक्त व्यक्ति का पट्टा जारी कर दिया जावेगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका किशनगढबास